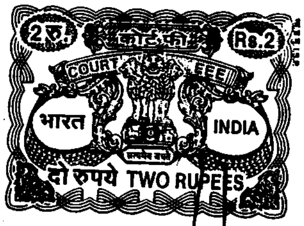

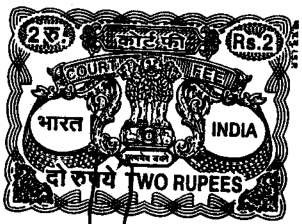

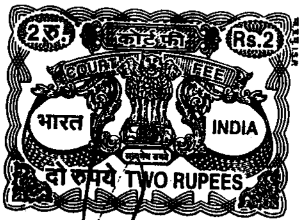

(3)

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017 रिवीजन R 1270-PBR/17

रूकमणीबाई पति प्रकाश उम्र 38 वर्ष जाति नायक धंधा खेती निवासी ग्राम सरसी तहसील जावरा जिला रतलाम .... प्रार्थी

प्रार्थी अभिभाषक श्री ... द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 03-5-17 03-5-17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1— सुरेश पिता शंकरलाल उम्र 35 वर्ष जाति नायक निवासी ग्राम सरसी तहसील जावरा जिला रतलाम

2— कारूलाल पिता शंकरलाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सरसी तहसील जावरा जिला रतलाम

3— म.प्र. शासन .... प्रत्यर्थीगण

रिवीजन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जावरा जिला रतलाम के द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3/अ—56/2015—16 मे पारित आदेश दिनांक 14—12—2016 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1270-पीबीआर/17 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-5-2017	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार, तहसील जावरा जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-12-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि जिस भूतपूर्व कोटवार के आवेदन पत्र पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, उसकी मृत्यु हो गई है अतः प्रकरण समाप्त कर नये सिरे से उद्घोषणा जारी की जाये । उक्त आपत्ति को नायब तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि प्रकरण समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है । पुनः उद्घोषणा जारी की जाये जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि उद्घोषणा जारी करने पर आवेदिका को कोटवार पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध होगा । अतःयह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	